कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

क्रमांक :– न्याय/का.व्य./2025/3097 दिनांक : 10.05.2025

–: आदेश :–

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163)

यत् संज्ञान में लाया गया है कि वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर उदयपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा में स्थित आर्मी एरिया, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक, हिन्दुस्तान जिंक, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, गैस फेक्ट्री एवं ऐतिहासिक भवनों आदि की महता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए इनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उदयपुर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन संचालन एवं आतिशबाजी (पटाखे) पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता समझी गई है।

उदयपुर जिला सामरिक महता की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है। अतः मुझे समाधान हो गया है कि वर्तमान परिदृश्य के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था की स्थिति प्रभावित की जा सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है तथा विधि प्रतिकूल अन्य घटनाएं घटित होने की प्रबल सम्भावनाएं हो सकती है जिससे लोगों के जानमाल की हानि हो सकती है तथा लोकशान्ति भंग होने की सम्भावना हो सकती है।

अतः मैं नमित मेहता, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, की धारा 163 के अन्तर्गत उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण उदयपुर जिले में आज दिनांक 10.05.2025 को दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 15.05.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक के लिये किसी भी प्रकार की आतिशबाजी (पटाखे) छोडने तथा समस्त प्रकार के युएवी, ड्रोन, गुब्बारे, इत्यादि के संचालन/उडान पर पूर्णतया प्रतिबंध प्रभावी करने का आदेश देता हुँ।

1. संपूर्ण जिले में ड्रोन संचालन उडाने पर पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा। यदि विशेष परिस्थितियों में ड्रोन उडाना अत्यावश्यक हो तो सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही ड्रोन का संचालन किया जावे।
2. सम्पूर्ण जिले में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी (पटाखे) छोडने पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा।
3. उक्त आदेश सरकारी गतिविधियों यथा सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों, रेलवे के लिये लागू नहीं होगा।

चूंकि इस आदेश की तामील व्यक्तिशः कराना संभव नहीं है, अतः उक्त आदेश को एक पक्षीय जारी किया जा रहा है। उदयपुर जिले के समस्त मुख्य स्थानों पर आदेश चस्पा किया जाकर समाचार पत्रों एवं प्रचार–प्रसार के माध्यम से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जावे। यह आदेश सम्पूर्ण उदयपुर जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा तथा दिनाक 15.05.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023, की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 10 मई, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

Signature valid
(नमित मेहता)
जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर

Digitally signed by Namit Mehta
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.05.10 11:58:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15226230

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर
3. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस रेंज महोदय, उदयपुर

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की नियमानुसार पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।
2. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी जोन, उदयपुर
3. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (शहर / प्रशासन) उदयपुर
4. निदेशक, विमानपतन प्राधिकरण, जयपुर
5. निदेशक, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर / मुख्यालय / जिला)
7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट (समस्त उदयपुर जिला)
8. वृत्ताधिकारी समस्त
9. संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करावें।
10. वरिष्ठ निजी सचिव, जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर
11. कार्यालय प्रति।

जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Na[illegible]it Mehta
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.05.10 [illegible]1:58:28 IST
Reason: Approved